151/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 151 / 2022

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1. नखतसिंह पुत्र सांगसिंह, जाति राजपूत निवासी देदूसर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.रामाराम पुत्र खुमाराम, जाति जाट, निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन
2. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी – **श्री फताराम गोदारा**
विप्रार्थी – **श्री ठाकराराम**

निर्णय

दिनांक :– 11.01.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी का खेत मौजा विण्डाणियों की ढाणी (शोभाला जेतमाल) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 270 / 49 रकबा 11.1693 हैक्टेयर, खसरा सं. 269 / 49 रकबा 06.4264 हैक्टेयर, खसरा सं. 271 / 69 रकबा 00.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है ।

उक्त वादग्रस्त आराजी में सहायक [illegible] के मुकदमा सं. 114 / 1978 दिनांक 31.01.1981 डिक्री पर्चा के निर्णय [illegible] खसरा सं. 49 / 01 रकबा 69.00 बीघा तथा सफूरो, बेवा, फजल [illegible] अहमद पि. [illegible] खतियो पुत्री फजल के खसरा सं. 49 रकबा 39.14 एवं खसरा सं. 49 / 01 / 01 रकबा [illegible]6.00 बीघा का निर्णय पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 1368 स्वीकृत किया गया । जिसकी पुश्त पर प्रार्थी एवं विप्रार्थी के कब्जा काश्त व निर्णय अनुसार तरमीम की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वादग्रस्त खेत खसरा सं. 49/01 रकबा 39.14 बीघा, खसरा सं. 49/01/01 रकबा 06.00 बीघा खातेदार सफूरो, बेवा, फजल, खानमोहम्मद, वहीया, अहमद पि. फजल, खतियो पुत्री फजल ने दिनांक 06.01.1982 को विप्रार्थी सं. 01 को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण सं. 1379 स्वीकृत किया गया, जिसमें रजिस्ट्री दस्तावेज में सेढा पडौस खोले गये जो सही है जिसमें नखतसिंह की भूमि पश्चिम दिशा में बताई गई।

अधीनस्थ कर्मचारियों को गलती से प्रार्थी की खातेदारी एवं काश्त में विप्रार्थी का खसरा सं. 49 नवसृजित खसरा सं. 269/49 रकबा 06.4264 अंकित कर दिया तथा प्रार्थी के खेत खसरा सं. 49/01 नवसृजित खसरा सं. 269/49 रकबा 11.1693 हैक्टेयर को विप्रार्थी सं. 01 के कब्जा की तरमीम कर दिया गया जिसे प्रार्थी मौके पर दुरस्त करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील के निवदेन पर आवेदन में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 वकील उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके मौके नक्शा परिशिष्ट 'A' अनुसार तरमीम दुरस्त करते हुए आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरस्त की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार चौहटन द्वारा परिशिष्ट 'A' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता भी इस हेतु सहमत है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा विण्डाणियों की ढाणी (शोभाला जेतमाल) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 270/49 रकबा 11.1693 हैक्टेयर, खसरा सं. 269/49 रकबा 06.4264 हैक्टेयर, खसरा सं. 271/69 रकबा 00.9712 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय सलंग्न मौका नक्शा परिशिष्ट 'A' अनुसार दुरस्त की जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

"मौका नक्शा" पारि. A

नक्शा किश्तवार
मौजा - विश्नोणियों की ढाणी
पैमाना - 1" = 40 गट्ठा

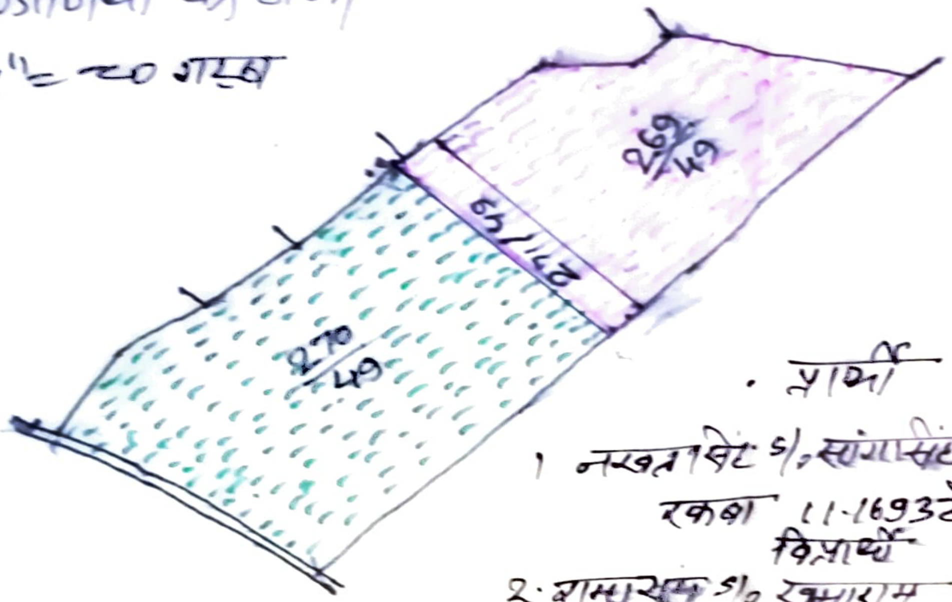

प्रार्थी
1 नखतसिंह S/o सांगसिंह ख.नं. 270/49
रकबा 11.1693 हैं.

विप्रार्थी
2. रामस्वरूप S/o सुखाराम
ख.नं. 269/49 रकबा 6.4264
ख.नं. 271/49 रकबा 0.9712

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नखतसिंह (नखतसिंह S/o सांगसिंह)
प्रार्थी
(गेनासिंह खुशालसिंह)
(गणेशाराम / महार)
(कानाराम / हीराराम)
लूणाराम (लूणाराम S/o नरसाराम)

12/3/2023
तहसीलदार चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested